अपील सूचना अधिकार संख्या 68/2018 (RCMS 2018/00183) श्री साधुराम नायक पुत्र श्री बुद्धराम नायक निवीस गांव 8के(बी), पो. [illegible], तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर – 335711 मो.न. 9501116777 बनाम तहसीलदार, (राजस्व), अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी साधुराम नायक स्वयं उपस्थित नही। अप्रार्थी तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, शामिल पत्रावली है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी** ने तहसीलदार, अनूपगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2018 को प्रस्तुत करके तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ के कार्यालय की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा ने उसे समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री साधुराम नायक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थीः

1. अनूपगढ तहसीलदार के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 253 दिनांक 18. 05.2018 सूचना के अधिकार के तहत बिन्दु संख्या 02 पर सूचना दी गई की पटवारी प्रार्थी के दस्तावेज व ग्रामीणो से पूछताछ कर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट करते है। इसलिए कृपया उक्त राज्य सरकार के आदेश की प्रति प्रदान करें, जिससे पटवारी को ग्रामीणो से पूछताछ करने का आदेश दिया हो की प्रति प्रदान करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. अनूपगढ तहसीलदार कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र की प्रथम लेवल पर भारत के राजस्व 1979 व अनूपगढ तहसील कार्यालय के पत्र 253 दिनांक 18.05.2018 के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार नायक जाति की रिपोर्ट अनुसूचित जनजाति की जिस श्रेणी में की जाती है, की सूचना प्रदान करें।

3. सत्र 2017—18 में अनूपगढ कार्यालय में नायक जाति के अनुसूचित जनजाति के ऑनलाईन व ऑफ लाईन कितने आवेदन प्राप्त हुए उनकी प्रति व उनके निस्तारण में अनूपगढ तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही/नोटिस की प्रतियां प्रदान करें।

4. अनूपगढ तहसीलदार अधिनस्थ पटवारियों को अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट करने हेतु जो पत्र/सूवी दी गई , उसकी प्रति।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ ने अपने पत्रांक स्था./2018/580 दिनांक 11.10.2018 एवं 666/01.11.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

:

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार से है :

1. राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व एजेन्सी की कड़ी होने के कारण पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मौका पर मौजिज व्यक्तियों ग्रामीणों से पूछताछ व जांच अनुसार रिपोर्ट की जाती है।

2. नायक श्रेणी की रिपोर्ट अनुसूचित जाति के रूप में की जाती हैं

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. ऑफ लाईन कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। ऑन लाईन जाति के जो आवेदन प्राप्त होते है वे प्रथम लेवल पर चैक कर द्वितीय लेवल श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, अनूपगढ को प्रेषित कर दिये जाते है।

4. पटवारी राजस्व सरकार के निर्देशानुसार राजस्व एजेन्सी की कड़ी है। पटवारी द्वरा रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मौका पर मौजित व्यक्तियों ग्रामीणों से पूछताछ व जांच अनुसार रिपोर्ट की जाती है।

तहसीलदार (राजस्व)
अनूपगढ

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि आपके पास उपलब्ध अभिलेख में से किसी निश्चित दस्तावेज की प्रति चाहे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर